भारत सरकार
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4292
बुधवार, दिनांक 26 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

पवन ऊर्जा उत्पादन

4292. श्री चिन्तामणि महाराजः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में पवन ऊर्जा के उत्पादन हेतु कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो पवन ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता और वर्तमान में उससे विद्युत उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान पवन ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पवन ऊर्जा संस्थापना में भारत की रैंकिंग का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) से (घ): सरकार ने देश में पवन ऊर्जा सहित नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल की हैं। इन पहल का विवरण अनुलग्नक-**I** में दिया गया है। दिनांक 28.02.2025 की स्थिति के अनुसार, देश में पवन ऊर्जा परियोजनाओं की कुल स्थापित क्षमता 48.58 गीगावाट है। पवन ऊर्जा परियोजनाओं की राज्यवार स्थापित क्षमता का विवरण अनुलग्नक-**II** में दिया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में पवन ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि हुई है। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान वार्षिक पवन ऊर्जा उत्पादन का विवरण निम्नलिखित है:

वित्त वर्ष	पवन ऊर्जा उत्पादन (मिलियन यूनिट में)
2021-22	68640.07
2022-23	71814.16
2023-24	83385.35
2024-25 (31 जनवरी, 2025 तक)	73621.08

राज्य-वार पवन ऊर्जा उत्पादन का विवरण अनुलग्नक-**III** में दिया गया है।

(ङ) आईआरईएनए की नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी 2024 के अनुसार, भारत स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर है।

अनुलग्नक-**I**

'पवन ऊर्जा उत्पादन**'** के संबंध में पूछे गए दिनांक 26.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4292 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-**I**

पवन ऊर्जा सहित अक्षय ऊर्जा उत्पादन को बढावा देने के लिए पहल

- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक अक्षय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों [आरईआईए: सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सेकी), एनटीपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड, एसजेवीएन लिमिटेड) द्वारा जारी की जाने वाली 50 गीगावाट प्रति वर्ष की अक्षय ऊर्जा विद्युत खरीद बोलियों को जारी करने के लिए बोली ट्रैजेक्ट्री जारी की है।
- ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।
- सौर और पवन विद्युत की इंटर-स्टेट बिक्री के लिए 30 जून, 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं हेतु दिसम्बर, 2030 तक और अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए दिसम्बर, 2032 तक इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्कों को माफ कर दिया गया है।
- अक्षय ऊर्जा खपत को बढ़ावा देने के लिए, अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) के बाद अक्षय उपभोग बाध्यता (आरसीओ) ट्रजेक्ट्री को वर्ष 2029-30 तक के लिए अधिसूचित किया गया है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत सभी नामित उपभोक्ताओं पर लागू आरसीओ की अनुपालना न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। आरसीओ में विकेंद्रीकृत अक्षय ऊर्जा स्रोतों से खपत की निर्दिष्ट मात्रा भी शामिल है।
- ग्रिड कनेक्टेड सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड और सतत एवं प्रेषण योग्य अक्षय ऊर्जा (एफडीआरई) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित स्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- अक्षय विद्युत की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के अंतर्गत नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने और नई सब-स्टेशन क्षमता विकसित करने हेतु वित्तपोषण किया गया है।
- पांच सौ किलोवाट तक अथवा स्वीकृत विद्युत लोड तक, जो भी कम हो, नेट-मीटरिंग के लिए विद्युत (उपभोक्ता के अधिकार) नियम, 2020 जारी किए गए हैं।
- समान अक्षय ऊर्जा टैरिफ (यूआरईटी) की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से आवंटित समान प्रकार की व्यक्तिगत आरई परियोजनाओं के टैरिफ का औसत निकालकर उपभोक्ताओं को एक समान टैरिफ उपलब्ध कराया जाएगा। दिनांक 15 फरवरी, 2024 से "सौर विद्युत सेंट्रल पूल" और "सौर-पवन हाइब्रिड सेंट्रल पूल" के लिए यूआरईटी के कार्यान्वयन को अधिसूचित किया गया है।
- तीव्र अक्षय ऊर्जा ट्रैजेक्ट्री के लिए आवश्यक ट्रांसमिशन अवसंरचना को बढ़ाने के लिए वर्ष 2030 तक की ट्रांसमिशन योजना तैयार की गई है।
- "विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम (एलपीएस नियम)" की अधिसूचना जारी की गई है।

- सभी के लिए किफायती, भरोसेमंद और सतत हरित ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 06 जून, 2022 को विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा) नियम, 2022 अधिसूचित किए गए हैं। वितरण लाइसेंसधारी को उसी विद्युत प्रभाग में स्थित कुल सौ किलोवाट या इससे अधिक के एकल या बहु एकल कनेक्शन के माध्यम से 100 किलोवाट या इससे अधिक की संविदा मांग के साथ किसी भी उपभोक्ता को हरित ऊर्जा खुली पहुंच (ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस) की अनुमति है।
- एक्सचेंजों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा विद्युत की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) की शुरुआत की गई है।
- सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं कि विद्युत की आपूर्ति साख पत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट – एलसी) या अग्रिम भुगतान के माध्यम से की जाएगी ताकि वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके।

उपरोक्त के साथ, पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अन्य के साथ-साथ विशेष रूप से निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- वर्ष 2030 तक पवन अक्षय उपभोग बाध्यता (आरसीओ) के लिए ट्रैजेक्टरी की घोषणा
- पवन विद्युत जनरेटरों के विनिर्माण के लिए कुछ उपकरणों पर रियायती सीमा शुल्क को माफ करना।
- दिनांक 31 मार्च, 2017 को या उससे पहले चालू हुई पवन परियोजनाओं को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) प्रदान किया जा रहा है।
- "पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय पुनः शक्तिकरण और जीवन विस्तार नीति, 2023" जारी की गई है।
- राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, चेन्नई के माध्यम से पवन संसाधन मूल्यांकन और संभावित स्थलों को चिह्नित करने सहित तकनीकी सहायता।
- "अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए रणनीति" जारी की गई है।
- अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए अपतटीय क्षेत्रों के पट्टे (लीज) की मंजूरी को विनियमित करने के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा पट्टा नियम, 2023 अधिसूचित किए गए हैं।
- "अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वीजीएफ योजना" जारी की गई है।

अनुलग्नक-**II**

'पवन ऊर्जा उत्पादन' के संबंध में पूछे गए दिनांक 26.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4292 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-**II**

पवन विद्युत परियोजनाओं की राज्य-वार स्थापित क्षमता

राज्य	दिनांक 28.02.2025 की स्थिति के अनुसार, संचयी स्थापित पवन विद्युत क्षमता (मेगावाट)
आंध्रप्रदेश	4096.65
गुजरात	12583.88
कर्नाटक	6878.29
केरल	63.50
मध्य प्रदेश	2844.29
महाराष्ट्र	5279.08
राजस्थान	5195.82
तमिलनाडु	11514.64
तेलंगाना	128.10
अन्य	4.30
कुल	48588.55

अनुलग्नक-**III**

'पवन ऊर्जा उत्पादन**'** के संबंध में पूछे गए दिनांक 26.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4292 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-**III**

पिछले वित्त वर्ष और वर्तमान वित्त वर्ष का राज्य-वार पवन ऊर्जा उत्पादन

राज्य	वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान पवन ऊर्जा उत्पादन (मिलियन यूनिट में)	वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पवन ऊर्जा उत्पादन (31 जनवरी, 2025 तक मिलियन यूनिट में)
आंध्रप्रदेश	8644.00	6454.68
गुजरात	24794.50	21623.73
कर्नाटक	10950.20	12115.20
केरल	214.53	107.64
मध्य प्रदेश	4949.78	3988.24
महाराष्ट्र	8228.97	7098.30
राजस्थान	8390.67	5949.11
तमिलनाडु	16908.08	16028.86
तेलंगाना	304.63	255.32
कुल	83385.35	73621.08

*****